बिहार सरकार
शिक्षा विभाग,
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

<u>आदेश</u>

पटना, दिनांक.........................

संचिका संख्या–8/आ०5–28/2025........../ जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 307 (उच्च) दिनांक 31.08.2025 द्वारा श्री अशोक कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लालगंज, वैशाली के विरूद्ध आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, स्वेच्छाचारिता, कार्य के प्रति लापरवाही एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 की कंडिका 3,1– (i) (ii) (iii) का उल्लंघन करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। उक्त के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 951 दिनांक 23.09.2025 द्वारा श्री कुमार से बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा अपने पत्रांक 670 दिनांक 06.10.2025 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। श्री कुमार से प्राप्त लिखित बचाव अभिकथन की समीक्षा की गयी।

श्री आशोक कुमार के विरूद्ध गठित आरोप एवं उनके बचाव अभिकथन के समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत श्री अशोक कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लालगंज, वैशाली को अनुशासनिक कार्यवाही के अधीन करने का निर्णय लिया जाता है।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), वैशाली को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति संलग्न करते हुए संचालन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उक्त विभागीय कार्यवाही को विधिवत् संचालित कर विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन 45 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

ह०/–
(विक्रम विरकर)
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांक 8/आ०5–28/2025......199 पटना, दिनांक.....10.02.2026

प्रतिलिपि– क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रखंड, मुजफ्फरपुर–सह–संचालन पदाधिकारी को आरोप पत्र प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्यों की प्रति सहित//जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली//जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), वैशाली–सह–उपस्थापन पदाधिकारी को आरोप पत्र प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्यों की प्रति सहित/श्री अशोक कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लालगंज, वैशाली को आरोप पत्र प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्यों की प्रति सहित एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/02/26

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग,
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आरोप पत्र

(प्रथम भाग)

1.	पदाधिकारी का नाम	:–	श्री अशोक कुमार
2.	पदनाम	:–	प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लालगंज, वैशाली
3.	संवर्ग	:–	अवर शिक्षा सेवा (प्रा०शा०) संवर्ग।
4.	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे /वेतन स्तर	:–	लेवल–08
5.	जन्म तिथि	:–	11.05.1966
6.	सेवानिवृति की तिथि	:–	31.05.2026
7.	पद समूह एवं विभाग	:–	समूह 'ग'/शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
8.	आरोप वर्ष एवं तत्कालीन पदस्थापन	:–	वर्ष, 2025/ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लालगंज, वैशाली।

(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

(2) द्वितीय भाग– अवचार या कदाचार के लांछनों का सार

1. श्री अशोक कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लालगंज के द्वारा वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, स्वेच्छाचारिता एवं कार्य के प्रति लापरवाही बरता जाना।
2. उक्त से स्पष्ट से है कि श्री कुमार द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 की कंडिका 3, (1) (i) (ii) (iii) का उल्लंघन किया गया।

(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

(3) तृतीय भाग– अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन

1. श्री अशोक कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लालगंज का प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के आदेश ज्ञापांक 413 दिनांक 21.04.2025 द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पातेपुर के पद पर किया गया। जिसके आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली के कार्यालय पत्रांक 443 दिनांक 14.05.2025 द्वारा योगदान हेतु आदेशित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन की माँग की गयी। परंतु श्री अशोक कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लालगंज द्वारा उक्त तिथि (14.05.2025) को ही अपने चिकित्सा अवकाश में जाने का आवेदन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करते हुए उसकी प्रतिलिपि से जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), वैशाली को अवगत कराया गया। श्री कुमार विभागीय आदेश की अवहेलना करते हुए अवकाश में चले गये। विभागीय आदेश का

अनुपालन नहीं करने एवं अवकाश में चले जाने के कारण प्रखंड के संबंधित कार्य का संचालन करने में बाधा उत्पन्न हुई, जिसे देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली के कार्यालय पत्रांक 473 दिनांक 26.05.2025 द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लालगंज का अतिरिक्त प्रभार देते हुए श्री कुमार को आदेशित किया गया कि वे अपने जिम्मे का संपूर्ण प्रभार श्रीमती विभा रानी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली को सौंपना सुनिश्चित करें। परंतु उनके द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इस प्रकार श्री कुमार द्वारा स्वेच्छाचारिता एवं कार्य के प्रति लापरवाही बरती गयी।

2. उपर्युक्त से स्पष्ट है कि श्री अशोक कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लालगंज, वैशाली द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 का कंडिका 3, (1) (i) (ii) (iii) का उल्लंघन किया गया है।

(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

(4) चतुर्थ भाग— (क) दस्तावेजों की सूची

क्र.	संबंधित पत्र/ अभिलेख	पृष्ठों की संख्या
1.	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना का आदेश ज्ञापांक 413 दिनांक 21.04.2025	01 पृष्ठ
2.	जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली का पत्रांक 443 दिनांक 14.05.2025	01 पृष्ठ
3.	श्री अशोक कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लालगंज द्वारा दिनांक 14.05.2025 को अपने चिकित्सा अवकाश में जाने संबंधी आवेदन पत्र।	01 पृष्ठ
4.	जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली का कार्यालय पत्रांक 473 दिनांक 26.05.2025	01 पृष्ठ

(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश

पटना, दिनांक..............................

संचिका संख्या–08 / स्था०–11–01 / 2022............/श्री अशोक कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लालगंज, वैशाली को प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पातेपुर, वैशाली के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(साहिला)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक–08 / स्था०–11–01 / 2022....413 पटना, दिनांक...21-04-2025

प्रतिलिपिः–जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, वैशाली को उनके ज्ञापांक 195 दिनांक 06.03.2025 के आलोक में/अवर सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 1023 दिनांक 24.03.2025 के आलोक में/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), वैशाली/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/श्री अशोक कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लालगंज, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/4/25

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घी कला, हाजीपुर)

बीरेन्द्र नारायण, बि०शि०से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0–8544412079
हाजीपुर, वैशाली–844101

E-mail Id.-deovaishali.cdn@gmail.com

कार्यालय–आदेश

निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक–413 दिनांक–21.04.2025 द्वारा श्री अशोक कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लालगंज, वैशाली को प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरण करते हुए अगले आदेश तक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पातेपुर, वैशाली के पद पर पदस्थापित किया गया है, किन्तु प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कुमार द्वारा अद्यावधि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पातेपुर के पद पर योगदान नहीं किया है, जो उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना को परिलक्षित करता है।

वर्णित स्थिति में श्री अशोक कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लालगंज, वैशाली को निदेश दिया जाता है कि वे पत्र प्राप्ति के साथ ही स्थानान्तरित कार्यालय में योगदान समर्पित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अवांछनीय होगी।

ह०–

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांक 443 निम्न /हाजीपुर, दिनांक 14.5.25 ।

प्रतिलिपि :– श्री अशोक कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लालगंज, वैशाली/पातेपुर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना)/समग्र शिक्षा अभियान/माध्यमिक शिक्षा/योजना एवं लेखा/पी०एम०पोषण योजना, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

13/5/25

अग्रसारित

सेवा में,

श्रीमान निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

16.05.25

विषय:- चिकित्सा-अवकाश में जाने के संबंध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली के ज्ञापांक-1950, दिनांक-13.05.2025 के आदेशानुसार शिक्षा भवन सभागार हाजीपुर में दिनांक-14.05.2025 को अपराह्न 3:00 बजे आहूत बैठक में भाग लेने के उपरांत प्रखंड मुख्यालय लालगंज लौटने के क्रम में मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं अपना इलाज स्थानीय चिकित्सक डा० रौशन कुमार से करा रहा हूँ। इस परिस्थिति में दिनांक 15.05.2025 से कार्यालय कार्य करने में असमर्थ हूँ। स्वस्थ होने के उपरांत योगदान कर कार्य करूँगा। वर्णित परिस्थिति में मैं दिनांक 15.05.2025 से स्वस्थ होने तक चिकित्सा-अवकाश में रहूँगा।

अतः श्रीमान की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- 1. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/ जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

आपका विश्वासी

15/05/2025

(अशोक कुमार)

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी

लालगंज (वैशाली)।

16.5.25

1205

16.5.25

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, सिन्धी कला, हाजीपुर)

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0—8544412079
हाजीपुर, वैशाली—844101

E-mail Id.-deovaishali.edu@gmail.com

कार्यालय—आदेश

श्री अशोक कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लालगंज, वैशाली द्वारा दिनांक—15.05.2025 से स्वस्थ होने तक चिकित्सा अवकाश का उपभोग करने से संबंधित आवेदन निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है।

श्री कुमार के कार्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण प्रखंड कार्यालय लालगंज का संचालन बाधित हो रहा है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्रीमती विभा रानी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली को तात्कालिक व्यवस्था के तहत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लालगंज का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

श्री अशोक कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लालगंज को निदेश दिया जाता है कि वे पत्र प्राप्ति के साथ अपने जिम्मे का सम्पूर्ण प्रभार श्रीमती विभा रानी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली को सौंपते हुए इस आशय की सूचना अविलंब अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली।

ज्ञापांक 473 नि0स्था0 हाजीपुर दिनांक 26.5.25

प्रतिलिपिः— जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना)/मा0शि0 एवं साक्षरता/प्रा0शि0 एवं समग्र शिक्षा अभियान/पी0एम0पोषण योजना, वैशाली/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लालगंज एवं वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली।

26.5.25